

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2014—भाद्र 7, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

अनंतिम अधिसूचना

क्र. एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोलह.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 5 की उपधारा (1) एवं खण्ड (ब) के अन्तर्गत श्रम विभाग की समसंख्यक प्रस्तावित अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)-1-93-श्रम, सोलह-ए, दिनांक 29 जनवरी 1994 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)-1-94-सोलह-ए, दिनांक 7 जून 1997 तथा इस आशय की अनंतिम अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)-1-13-ए-सोलह, दिनांक 3 जुलाई 2014 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11 जुलाई 2014 को प्रकाशित हुई है, को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन,

एतद्वारा धारा 27 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-84-सोलह-ए, दिनांक 2 मई 1986 द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग एक की प्रविष्टि क्रमांक 2 में उल्लेखित तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन में न्यूनतम वेतनदरों को 1 अप्रैल 2014 से प्रभावशील किये जाने हेतु निम्नानुसार पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करता है तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इस प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दो माह पश्चात् विचार किया जावेगा.

प्रस्ताव

कर्मचारियों के वर्ग (1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दर (3)
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बेलने के लिये)	रुपये 92.00 किन्तु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो, तो उसे अधिसूचना के परिशिष्ट में बताये गये शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा.	न्यूनतम वेतन की प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 के लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक का औसत 5299 (1960=100) पर आधारित है. इस औसत सूचकांक के ऊपर जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 की अवधि में औसत वृद्धि के लिये आगामी वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल 2015 से प्रति बिन्दु प्रति 1000 बीड़ी बनाने पर 01 पैसा की दर से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय होगा. तदनुसार प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक 1 वर्ष के औसत सूचकांक पर आधारित होगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

2. रिलाई श्रमिक

(अ) बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाने :-

कर्मचारियों के वर्ग (1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दर (3)
(1) लेबल चिपकाने तथा पूड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य.	रु. 52.39 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	01 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.
(2) यदि कट्टे पर दोनों और लेबल लगाया जाता है.	रु. 56.26 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	01 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.
(ब) झिल्ली तथा लेबल लगाने संबंधी कार्य :-		
(1) झिल्ली लेबल लगाना	रु. 45.95 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	01 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.
(2) झिल्ली लगाना	रु. 33.54 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार.
(3) लेबल लगाना	रु. 12.84 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	01 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार.
(4) पूड़ा बनाना, या चिपकाना	रु. 13.25 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	01 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार.

(1)	(2)	(3)
(स) एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो :—		
(1) आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य.	रु. 192.64 प्रति लाख बीड़ी पर.	02 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.
(2) झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य.	रु. 213.59 प्रति लाख बीड़ी पर.	02 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.
(3) झिल्ली तथा नक्षी झिल्ली लगाने का कार्य.	रु. 213.59 प्रति लाख बीड़ी पर.	02 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.

(1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		कंडिका 3 से 9 के संदर्भ में
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(1)	(2)	(3)	
3. बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले के लिए.	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 239 (2001=100) जुलाई, 2013 से दिसम्बर 2013 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत वृद्धि के लिये आगामी दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से प्रतिबिन्दु 25 रुपये प्रतिमाह की दर से देय होगा. तत्पश्चात् 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.
(क) तम्बाकू तथा तैन्दूपत्ता देने या बीड़ियां प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति.			
(ख) ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति.	रु. 4945.00/-	रु. 190.00	
4. तम्बाकू मिश्रण तथा छांनने का कार्य करने के लिये.	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	
5. भट्टी वाला रसोइया	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	
6. ड्रायव्हर (चालक) भारी वाहन	रु. 5225.00/-	रु. 201.00	
ड्रायव्हर (चालक) हल्के वाहन	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	
7. एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर,	रु. 5225.00/-	रु. 201.00	

(1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		कंडिका 3 से 9 के संदर्भ में
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
8. टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमैन	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	
9. भृत्य, चौकीदार	रु. 4945.00/-	रु. 190.00	

नोट.—बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे-बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायव्हर, भारी वाहन, हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टायपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार विनियमित होंगे. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा :—

- (1) **कुशल**—ड्रायव्हर (भारी वाहन), एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कैशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउनकीपर.
- (2) **अर्द्धकुशल**—बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायव्हर (हल्का वाहन), टायपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क.
- (3) **अकुशल**—ट्रक से माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार.

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि

विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है.

2. **परिवर्तनशील महंगाई भत्ता**—(1) उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बेलने के लिये) श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 के लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक का औसत 5299 (1960=100) पर आधारित हैं. इस औसत सूचकांक के ऊपर जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 की अवधि में औसत वृद्धि के लिये आगामी वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से प्रति बिन्दु प्रति 1000 बीड़ी बनाने पर 01 पैसा की दर से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय होगा. तदनुसार प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक 1 वर्ष के औसत सूचकांक पर आधारित होगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

(2) उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में रिलाई श्रमिक तथा बीड़ी छांटने एवं जांच करने वालों के लिये लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 239 (2001=100) जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर से की जावेगी. परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

3. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के कॉलम (2) में न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें 1 अप्रैल 2014 से देय होगी एवं इनमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता समाहित है तथा आगामी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कॉलम (3) में उल्लेखानुसार देय होगा.

4. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा. एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा.

5. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाले कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा.

6. गारन्टेड वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा.

7. यदि कर्मचारी अनिच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

8. जो कर्मचारी उसे दिये गये कच्चे माल की मात्रा, यद्यपि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता हो तो वह गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

9. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षोभ या इसके समान अन्य स्थिति में, जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर हैं, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

10. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल्य न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है. यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे.

11. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है.

12. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये की गुणांकों को पूर्णांक राउण्डअप कर ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-7-2006-नियम-चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्णीय, प्रमुख सचिव.

अंतिम नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं
प्रतितोष) अभिकरण की स्थापना लेखा और संपरीक्षा
नियम 2014

विषय सूची

नियम—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. अभिकरण की स्थापना.
4. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदान.
5. प्राप्त राशि और आहरण.
6. रजिस्ट्रों का संधारण.
7. वार्षिक लेखे.
8. संपरीक्षा.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. 1379-1866-13-पचास-2.—महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) की धारा 29 की उपधारा (4) सहपठित धारा 8 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष), अभिकरण की स्थापना, लेखा और संपरीक्षा नियम, 2014 है.

(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों.—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013);
- (ख) “अभिकरण” से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन स्थापित अभिकरण;
- (ग) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग;
- (घ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को जो यहां प्रयुक्त हैं, परिभाषित नहीं किए गये हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गये हैं उनके क्रमशः अर्थ वही होंगे जो अधिनियम में दिए गये हैं.

3. **अभिकरण की स्थापना.**—राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिये राज्य महिला संसाधन केन्द्र को अभिकरण के रूप में पदाभिहित करेगी.

4. **केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदान.**—(1) केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि अभिकरण को स्थानांतरित की जायेगी. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीस अथवा भत्तों के संदाय के लिये अभिकरण जिले के अधिकारी को इतनी राशि देगा जो अपेक्षित हो.

(2) अभिकरण, अनुदान की प्राप्त राशि की प्रविष्टि पृथक् अनुदान रजिस्टर में करेगा.

5. **प्राप्त राशि और आहरण.**—(1) अभिकरण का एक पी.डी. खाता (अकाउन्ट) होगा जो संबंधित जिला कोषालय में खोला जायेगा.

(2) प्रभारी अधिकारी द्वारा पी.डी. खाता (अकाउन्ट) संचालित किया जायेगा.

(3) अभिकरण को जो भी राशि प्राप्त हो उसे तुरन्त उपनियम (1) के अधीन खोले गये बैंक खाते (अकाउन्ट) में जमा किया जायेगा.

(4) अभिकरण के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर से अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से चेक के द्वारा खाते (अकाउन्ट) से राशि आहरित की जायेगी.

6. **रजिस्ट्रों का संधारण.**—अभिकरण का प्रभारी अधिकारी लेखों, जिनमें निम्न के लेखे सम्मिलित है का संधारण करने के लिये रजिस्टर संधारित करेगा:—

- (1) केश बुक
- (2) चेक बुक
- (3) पास बुक
- (4) फीस और भत्तों का भुगतान
- (5) प्रशिक्षण व्यय का भुगतान
- (6) प्रचार-प्रसार के व्यय का भुगतान
- (7) कार्यालय व्यय और आकस्मिक व्यय.

7. **वार्षिक लेखे.**—(1) अभिकरण के लेखे, ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में संधारित किए जायेंगे जैसे कि राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाए.

(2) अभिकरण का प्रभारी अधिकारी ऐसे प्ररूप में वार्षिक लेखा तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक लेखा तैयार किया जाएगा.

8. **संपरीक्षा.**—(1) अभिकरण के लेखे, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के संपरीक्षक द्वारा अथवा ऐसे संपरीक्षक के द्वारा जो मध्यप्रदेश के महालेखाकार से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये, संपरीक्षित कराए जायेंगे.

(2) प्रभारी अधिकारी जिसके नियंत्रण की अभिरक्षा में अभिकरण के लेखे हैं, लेखे की संपरीक्षित प्रति उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी.

(3) अभिकरण, लेखे का संपरीक्षण प्रतिवर्ष 30 जून के पूर्व कराएगा.

(4) अभिकरण त्रुटि या अनियमितता जो संपरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाई जाएं उन्हें दूर करने के उपाय के लिये तुरन्त उपयुक्त कार्यवाही करेगा.

THE MADHYA PRADESH SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT
WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL)
SETTING UP OF AGENCY, ACCOUNTS AND
AUDIT RULES 2014

TABLE OF CONTENTS

Rule—

1. Short title and Commencement.
2. Definitions.
3. Setting up of Agency.
4. Grant by Central Government.
5. Receipt of the sum and withdrawal.
6. Maintenance of Registers.
7. Annual Accounts.
8. Audit.

No. 1379-1866-13-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 29 read with sub-section (4) of Section 8 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No. 14 of 2013), the State Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) setting up of Agency, Accounts and Audit Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No. 14 of 2013);
- (b) “Agency” means the Agency setup under Rules 3;
- (c) “State Government” means the State Government of Madhya Pradesh in the Woman and Child Development Department;
- (d) Words and expressions used herein not defined but defined in the Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Setting up of Agency.—The State Government shall designate the State Women Resource Centre as the agency for the purposes of the Act.

4. Grant by the Central Government or the State Government.—(1) The Amount of grant made by the Central Government shall be transferred to the Agency. The Agency shall pay to the District Officer such sum as may be required for the payment of fees or allowances referred to in sub-section (4) of Section 7 of the Act.

(2) The Agency shall make entry of the amount of grant received in a separate grant register.

5. Receipt of the sum and withdrawal.—(1) The Agency shall have a PD Account which shall be opened in respective District treasury.

(2) The PD Account shall be operated by the Officer incharge.

(3) Whichever sums received to the Agency shall immediately be deposited in the PD Account opened under sub-rule (1).

(4) The amount shall be withdrawn from the account through cheque under the signature of the Officer incharge of the Agency or any other Officer authorized by it in this behalf.

6. Maintenance of Registers.—The officer-in-charge of the Agency shall maintain registers for the maintenance of accounts including the following:—

- (1) Cash Book.
- (2) Cheque Book.
- (3) Pass Book.
- (4) Payment of fees and allowances.
- (5) Payment of Training expenses.
- (6) Payment of expenses to Media campaign.
- (7) Office and contingency expenses.

7. Annual Accounts.—(1) The Accounts of the Agency shall be maintained in such manner and in such form as may be prescribed by the State Government.

(2) The Officer incharge of the Agency shall prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government.

(3) The annual account shall be prepared for each financial year.

8. Audit.—(1) The account of the Agency shall be audited by the Auditor of the Local Fund Audit Department or by such Auditor as may be authorized by the State Government after consultation with the Accountant General Madhya Pradesh.

(2) The Officer incharge holding the custody of the accounts of the Agency shall furnish to the State Government audited copy of the account together with auditor's report thereon.

(3) The Agency shall cause the account to be audited before 30th June every year.

(4) The Agency shall take appropriate action forthwith to remedy any defect or irregularity that may be pointed out in the audit report.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एल. करयाम, उपसचिव.